प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 49/**2026** (अपील सूचना का अधिकार)

सुरेश कुमार कोठारी पिता स्व. सोहन लाल कोठारी पता: कन्याशाला के पास, तहसील वल्लभनगर, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वल्लभनगर, उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 22/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 26.12.2025 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दस्तावेज चोरी होने/गायब होने के तहत तहसील कार्मिकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/49/26/278–79 दिनांक 10.02.2026 से लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.12.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में तहसील कार्यालय का महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब करने/चोरी करने की जांच करवा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के संबंध में 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है जिसमें जांच के दौरान कार्यालय कर्मियों को दिये गये नोटिस व उनके जवाब, जांच की सम्पूर्ण पत्रावली तथा जांच का निष्कर्ष एवं तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना राजकीय कर्मचारी के विरुद्ध की गई विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित है, जो कि व्यक्तिगत सेवा अभिलेख का हिस्सा है। ऐसी सूचना का संबंध तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी से है, जिसका सार्वजनिक गतिविधि या जनहित से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) के अनुसार ऐसी व्यक्तिगत सूचना, जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या जनहित से कोई संबंध नहीं है अथवा जिससे व्यक्ति की निजता का अनावश्यक अतिक्रमण होता हो, का प्रकटीकरण वर्जित है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी यह संतुष्ट न हो कि बड़े जनहित में उसका

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर

RajKaj Ref No.: 22388694
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.22 12:57:31 IST
Reason: Approved

प्रकटीकरण आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई ठोस आधार या व्यापक जनहित प्रदर्शित नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त सूचना प्रदान की जा सके।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

RajKaj Ref No.:
22388694
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.22 12:57:31 IST
Reason: Approved